तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/382/2005/भीलवाडा** **सरकार बनाम गोपीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-10-2023	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 30–12–2000 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, कोटडी ने जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मोजा पारोली तहसील कोटडी में राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2010 से 13 के अनुसार आ0नं0 2122 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 2599 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 2602 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि श्री ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण पारोली के नाम दर्ज रिकार्ड थी। बंदोबस्त सम्वत् 2017–18 में बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त भूमि के नए खसरा नं0 2576 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 2568 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 2570 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा कायम कर उक्त भूमि केसर बेवा मोहनलाल हिस्सा 1/3, मदनलाल, मिश्री पुत्र किशनलाल हि0 2/3 के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। पूर्व बंदोबस्त जमाबंदी नकल सम्वत 2010–13 से स्पष्ट है कि यह भूमि ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो नवीन बंदोबस्त में ठाकुर लक्ष्मीनारायण के स्थान पर केसर बेवा मोहनलाल, मदनलाल, मिश्री के नाम दर्ज कर दी जो विधिसम्मत नहीं है। विवादित आराजी ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी की भूमि है जो शाश्वत नाबालिग है। भू प्रबंध विभाग को पूर्ववत् इंद्राज में फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः विवादित आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी से हटाकर उक्त आराजी ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जावे। 3– न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपने आदेश दिनांक 30–12–2000 के द्वारा तहसीलदार कोटडी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी की एकपक्षीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/382/2005/भीलवाडा** **सरकार बनाम गोपीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस सुनी गई।

5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि श्री ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण पारोली के नाम दर्ज रिकार्ड थी। बंदोबस्त सम्वत् 2017–18 में बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त भूमि के नए खसरा नं0 2576 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 2568 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 2570 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा कायम कर उक्त भूमि केसर बेवा मोहनलाल हिस्सा 1/3, मदनलाल, मिश्री पुत्र किशनलाल हि0 2/3 के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। पूर्व बंदोबस्त जमाबंदी नकल सम्वत 2010–13 से स्पष्ट है कि यह भूमि ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो नवीन बंदोबस्त में ठाकुर लक्ष्मीनारायण के स्थान पर केसर बेवा मोहनलाल, मदनलाल, मिश्री के नाम दर्ज कर दी जो विधिसम्मत नहीं है। विवादित आराजी ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी की भूमि है जो शाश्वत नाबालिग है। भू प्रबंध विभाग को पूर्ववत् इंद्राज में फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः विवादित आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी से हटाकर उक्त आराजी ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

6– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत 2054–57 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या नया 261 में आराजी खसरा नं0 2568 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 2570 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 2576 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल 3 किता की 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि गोपीलाल, कैलाशचंद पि0 मिश्रीलाल, मु0 नंदुबाई बेवा मिश्रीलाल हि0 13/21 विष्णु, कमला, चांद, सजन, काली पुत्री मिश्रीलाल हि0 8/21 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2010–13 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नं0 2122 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 2164 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 2599 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं0 2602 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्री ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसपर शिकमी मोहन पि0 किशना दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में श्री ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत् नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/382/2005/भीलवाडा** **सरकार बनाम गोपीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 7– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण के खातेदारी के अंकन को हटाए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा विवादित भूमि ग्राम पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा के खसरा नं0 2576 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 2568 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 2570 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा को पुनः ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	